



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) National Highways Authority of India



(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय - कोलकाता, सिंथेसिस बिजनेस पार्क, (विंग-सी, 8वां तल्ला), सीबीडी/1,

जेएल-23, एक्शन एरिया - II, न्यू टाउन, कोलकाता - 700 156

Regional Office - Kolkata, Synthesis Business Park, (Wing-C, 8th Floor),

CBD/1, JL-23, Action Area - II, New Town, Kolkata - 700 156

टेल / Tel : (033) 2324 8081 (EPABX) ईमेल / e-mail : rokolkatta@nhai.org, rokolnhai@gmail.com वेब / Web : www.nhai.gov.in

संदर्भ / Ref. no. NHAI/RO-KOL/001/2025/08/37/ 1112

दिनांक / Date 15th Oct 2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण / INVITATION OF PUBLIC COMMENTS

विषय: मिदनापुर डिवीजन पीएचई निदेशालय के खड़गपुर उप-मंडल के अंतर्गत एनएच-16 (पुराना एनएच-6) के आरएचएस के साथ किमी 126+000 से 128+750 (कुकराडा पीडब्ल्यूएसएस) तक भूमिगत जल पाइपलाइन बिछाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में: **Permission for laying underground water pipeline along RHS of NH-16 (Old NH-6) from Km 126+000 to 128+750 (Kukrada PWSS) under Kharagpur Sub-Division of Midnapore Division PHE Dte. - reg.**

परियोजना निदेशक, पीआईयू, कोलकाता, एनएचएआई ने पत्र संख्या एनएचएआई/पीआईयू-केओएल/टेक/16/पीएचई पाइपलाइन/1942 दिनांक 24.09.2025 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि के उपयोग के लिए लाइसेंस देने हेतु मिदनापुर डिवीजन पीएचई निदेशालय के खड़गपुर उप-मंडल के अंतर्गत एनएच-16 (पुराने एनएच-6) के आरएचएस के साथ किमी 126+000 से 128+750 (कुकराडा पीडब्ल्यूएसएस) तक भूमिगत जल पाइपलाइन बिछाने के लिए विषय उल्लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया।/ Project Director, PIU, Kolkata, NHAI vide letter no. NHAI/PIU-KOL/Tech/16/PHE Pipeline/1942 dated 24.09.2025 submitted the subject mentioned proposal for laying underground water pipeline along RHS of NH-16 (Old NH-6) from Km 126+000 to 128+750 (Kukrada PWSS) under Kharagpur Sub-Division of Midnapore Division PHE Dte. for granting license for use of National Highway land.

2. मंत्रालय के परिपत्र ओएम संख्या आरडब्लू/एनएच/33044/29/2015/एस एंड आर (आर) दिनांक 22-11-2016 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि के उपयोग के लिए उपयोगिता सेवा के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव जनहित के आधार पर 30 दिनों के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराएगा।/ As per Ministry circular issued vide OM no RW/NH/33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016, the Highway Administration shall make available the proposal for granting license for use of National Highway land for laying utility service for public comments for 30 days on ground of public interest.

3. उपरोक्त विषयांकित सार्वजनिक नोटिस के आलोक के प्रस्ताव पर आम जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं, जो प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय तक प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके उपरान्त कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं होगी।/ In view of the above, comments of general public is hereby invited on subject captioned proposal, which should reach by this office within 30 days from the date of publication, beyond which no comments shall be entertained.

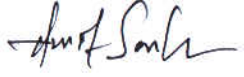
टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैं/ The Comments may be submitted at the following address:-

मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
सिंथेसिस बिजनेस पार्क, कार्यालय इकाई - 8सी
(विंग सी, 8वीं मंजिल), सीबीडी/1,
जेएल-23, एक्शन एरिया-II, न्यू टाउन,
कोलकाता-700156

Chief General Manager (Tech) & Regional Officer
Regional Office, National Highways Authority of India,
Synthesis Business Park, Office Unit - 8C (Wing C, 8th
Floor), CBD/1, JL - 23, Action Area - II, New Town,
Kolkata - 700156

(2)

यह सूचना सीजीएम (तकनीकी) एवं आरओ-कोलकाता, एनएचएआई के अनुमोदन से है / This issues with the approval of CGM(Tech) & RO-Kolkata, NHAI.



(अमित सरकार)
प्रबंधक (तकनीकी)

प्रतिलिपि:

1. वेब प्रशासन, एनएचएआई-मुख्यालय-एनएचएआई वेबसाइट के "नया क्या है" के अंतर्गत अपलोड हेतु प्रेषित / Web Admin, NHAI-HQ - with request to upload under "What's New" of NHAI web site.
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001- प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट के "नया क्या है" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित। / Technical Director, NIC, Transport Bhawan, New Delhi - 110001- with the request to upload under "What's New" of Ministry's Web Site for 30 days from the date of publication.
3. परियोजना निदेशक, पीआईयू, एनएचएआई- कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित। / Project Director, PIU-NHAI, Kolkata - for information.
4. कार्यकारी अभियंता, मिदनापुर डिवीजन, पी.एच.ई. निदेशालय, नारामपुर पीएचई कॉम्प्लेक्स, सरतपल्ली, मिदनापुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पिन-721101 - को सूचनार्थ प्रेषित। / Executive Engineer, Midnapur Division, P.H.E. Dte., Narampur PHE Complex, Saratpally, Midnapore, Paschim Medinipur, Pin-721101 - for information.